न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 32/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2012/00013)

गिरधारीलाल पुत्र स्व. बृजलाल जाति माली निवासी चूरू तहसील व जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चूरू।
2. वन विभाग चूरू जरिये उपवन संरक्षक चूरू।

रेस्पोर्डेट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेश बैद – अभिभाषक अपीलान्ट
उपस्थितः 2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 08–10–2021**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 10.05.2012 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 19.06.2006 के विरूद्व जिला कलक्टर चूरू में प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया किया कि तहसीलदार चूरू द्वारा नामान्तरकरण सं. 1685 दिनांक 19.06.2006 स्वीकृत किया गया है उनको निरस्त फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू ने अपने निर्णय दिनांक 10.05.2012 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 की ओर से पूर्व में क्षेत्रीय वन अधिकारी उपस्थित हुए मगर बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुवे बहस कें दौरान कहा कि खेत खसरा नं. 1710/269 तादादी 17 बीघा वाके रोही कस्बा चूरू राज्य सरकार द्वारा कभी भी

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वन विभाग को आंवटित नही की गई बल्कि उक्त कृषि भूमि सेठ मदन गोपाल बागला के नाम से खातेदारी मे दर्ज थी तथा बाद में उक्त भूमि को गैरमुमकिन बीड के नाम से दर्ज हुई तथा खसरा नं. 269 की 88 बीधा 15 बिस्वा भूमि को वन विभाग के नाम क्षेत्रिय वन अधिकारी के आदेश का हवाला देते हुए इन्तकाल नं. 317 दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त 17 बीधा भूमि को वन विभाग के नाम गलत दर्ज किया है। खसरा नं. 1710/269 तादादी 17 बीधा पर अपीलान्ट के पिता स्व.बृजलाल के कब्जे काश्त की भूमि है। तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 06.12.1972 के विरूद्व जिलाधीश चूरू मे अपील पेश की गई जो दिनांक 23.08.1973 को स्वीकार की गई तथा तहसीलदार चूरू का आदेश को निरस्त किया गया। तहसीलदार चूरू द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्व नजरसानी पेश की गई जो दिनांक 07.03.1974 को निरस्त कर दी गई। अपीलान्ट द्वारा उक्त वादगत भूमि के बाबत एक घोषणात्मक दावा राजस्व न्यायालय के संमक्ष जैरकार है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत भूमि वन विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार चूरू ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया, ना ही साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया। ना ही पटवारी हल्का के बयान लिये। हम इस जमीन के अतिक्रगी है जो सभी न्यायालय ने माना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अपील को पेश करने का कोई कानुनी अधिकार नही होने का हवाला देते हुऐ गलत खारिज किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर हर दो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया।

अति... सदस्य

प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू के निर्णय दिनांक 10.05.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की है, अधीनस्थ न्यायालय ने मूलतः अपीलान्ट की अपील LOCUS STANDI नही होने के आधार पर खारिज की है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 1885 जिसके द्वारा कस्बा चूरू के ख. नं. 1710/269 की 17 बीघा भूमि बीड से वन विभाग के नाम दर्ज किये जाने के विरूद्व अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उक्त आराजी के सम्बन्ध मे अपीलान्ट के अनुसार एक नियमित वाद उपखण्ड अधिकारी चूरू के समक्ष विचाराधीन है तथा इसमे पारित आदेशो के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी एवं भू.प्रबन्ध अधिकारी चूरू अपील सं. 105/96 एवं 90/96 व राजस्व मण्डल राज. अजमेर मे निगरानी/टी ए/113/97 चूरू, निगरानी/टी ए/114/97 अपील/निगरानिया विचाराधीन रही है। इस प्रकार अपीलान्ट अपीलाधीन भूमि के सम्बन्ध मे नामान्तकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की LOCUS STANDI रखता है। अर्थात अपीलान्ट STRANGER PERSON नही है। यह दीगर बात है कि अपीलान्ट भूमि के सम्बन्ध मे कोई अधिकार है अथवा नही उसका निर्णय नियमित वाद मे तय होना है, जो कि उपखण्ड अधिकारी चूरू में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू का निर्णय दिनांक 10.05.2012 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर चूरू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड (Remand) किया जाता है कि प्रकरण मे साक्ष्य/सबूतो के आधार पर मेरिट पर निर्णय पारित करे।

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 08.10.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर।